न्यायालय- उपजिलाधिकारी,गोवर्धन

जनपद - मथुरा, तहसील - गोवर्धन
कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या : T202415070676I
आवेदक का नाम :- अंकित
अंतर्गत धारा:- ८०, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश का प्रकार :- अंतिम आदेश

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अंकित पुत्र विजय कुमार निवासी एन0ए0 50ए0 श्यामनगर कॉलौनी लक्ष्मीनारायन मदिंर के पास पलवल व कु0 अवन्तिका अग्रवाल पुत्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी ओल्ड बस स्टैण्ड बरसाना व श्रीमती रेनू पत्नी प्रेमचन्द निवासी रामनगर काली मन्दिर के पास कोसीकलॉ व नवल सिंह पुत्र छिद्दी निवासी बरसाना तहसील गोवर्धन जिला मथुरा द्वारा धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर मौजा ऊॅचागॉव के खाता संख्या 162 खसरा संख्या 433अ रकवा 1.7560 हे0 भू-राजस्व 20.70 रू0 में से रकवा 0.6902 हे0 भू-राजस्व 8.13 रू0 व खाता सं0 224 खसरा सं0 435 रकवा 0.1010 भू-राजस्व 2.27 रू0 में से रकवा 0.069 हे0 भू-राजस्व 1.55 रू0 बतौर संक्रमणीय भूमिधर कृषि भूमि को आबादी/अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गोवर्धन की आख्या चाही गयी, तहसीलदार गोवर्धन ने अपनी आख्या दिनांक 17.02.2024 में उल्लेख किया है कि अंकित पुत्र विजय कुमार निवासी एन0ए0 50ए0 श्यामनगर कॉलौनी लक्ष्मीनारायन मदिंर के पास पलवल व कु0 अवन्तिका अग्रवाल पुत्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी ओल्ड बस स्टैण्ड बरसाना व श्रीमती रेनू पत्नी प्रेमचन्द निवासी रामनगर काली मन्दिर के पास कोसीकलॉ व नवल सिंह पुत्र छिद्दी निवासी बरसाना तहसील गोवर्धन जिला मथुरा द्वारा धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण मौजा ऊचागॉव के खाता संख्या 162 खसरा संख्या 433अ रकवा 1.7560 हे0 भू-राजस्व 20.70 रू0 में से रकवा 0.6902 हे0 भू-राजस्व 8.13रू0 व खाता सं0 224 खसरा सं0 435 रकवा 0.1010 हे0 भू-राजस्व 2.27रू0 में से रकवा 0.069हे0 भू-राजस्व 1.55रू0 पर संक्रमणीय भूमिधर है, तथा वर्तमान में श्रेणी 1 (क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रश्नगत भूमि. कृषि अथवा कृषि से संबंधित कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि के प्रयोजन में नही लाई जा रही है. तथा इससे लोक व्यवस्था लोक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। प्रश्नगत भूमि किसी महायोजना में प्रस्तावित नहीं है तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। यह भूमि विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। प्रश्नगत भूमि का उपयोग आवासीय भूमि के रूप में किया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय मथुरा द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से मालियत का 2 प्रतिशत 39,480/- रू0 संदेय शुल्क जमा करा लिया है,जो पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार गोवर्धन द्वारा अकृषिक उपयोग हेतु घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार गोवर्धन की आख्या दिनांक 17.02.2024 का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तहसीलदार गोवर्धन की आख्या दिनांक 17.02.2024 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेष

उपरोक्त विश्लेशणानुसार तहसीलदार गोवर्धन की आख्या दिनांक 17.02.2024 स्वीकार की जाती है। वादी द्वारा हस्ताक्षर राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार गोवर्धन की आख्यानुसार राजकीय कोष में उदघोषणा शुल्क की धनराशि 39,480/-रू0 चालान आई डी0 त्।श्र240007551 से दिनांक 19.02.2024 को जमा किया जा चुका है। उ0प्र0रा0सं0 की धारा 80(2) के अन्तर्गत यह उदघोषित किया जाता है कि मौजा ऊचागॉव तहसील गोवर्धन जिला मथुरा के खाता सं0 162 खसरा सं0 433 अ रकवा 1.7560 हे0 मालगुजारी 20.70 रू0 में से रकवा 0.6902 हे0 मालगुजारी 8.13 रू0 व खाता सं0 224 खसरा 435 रकवा 0.1010हे0 मालगुजारी 2.27 रू0 में से रकवा 0.069हे0 मालुगजारी 1.55रू0 संक्रमणीय भूमि अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग में लायी जा सकेगी। यदि भूमिधर उदघोषणा की दिनांक से 5 वर्ष के अन्दर भूमि पर अकृषिक गतिविधियॉ प्रारम्भ नहीं करता है तो यह उदघोषणा स्वतः निष्प्रभावी मानी जायेगी। तहसीलदार गोवर्धन की

आख्या दिनांक 17.02.2024 आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक छाता को भेजी जाये। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक: 19 ,फरवरी, 2024

19.02.24

(मयंक गोस्वामी)

उप जिलाधिकारी,

गोवर्धन